

<p>STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION STAFF SELECTION COMMISSION</p> <p>कर्मचारी चयन आयोग पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)</p> <p>वेबसाइट: www.sscwr.net</p> <p>हेल्पलाइन नम्बर: 07738422705/098869730700</p> <p>ई-मेल आई डी: examinquirysscwr@gmail.com</p>		<p>Staff Selection Commission Western Region (Mumbai)</p> <p>Website: www.sscwr.net</p> <p>Helpline No. 07738422705/098869730700</p> <p>Email Id: examinquirysscwr@gmail.com</p>
---	--	--

ई-प्रवेश प्रमाणपत्र / e-ADMISSION CERTIFICATE

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2024 (चरण-1)

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2024 (TIER-I)



रजि. सं.

10012361592

अनुक्रमांक सं. :

Roll No.

(यूजर आई डी के रूप में प्रयोग करें) (to be used as User ID)

7208021972

पारीक्षा के लिए पासवर्ड :

Password for Examination :

15051999

प्रवर्तन के विषय

पहचान का मशाल Identification Mark

MOLE ON CHIN

प्रलिपिक के लिए विकल्पः

No

Opted for Scribe:

उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा

Language chosen by the candidate

संस्कृत भाषा के द्वितीय

No

MCCL ON CHIN		
परीक्षा तिथि / Exam Date	उपस्थित होने का समय / Reporting Time	प्रवेश बंद होने का समय / Entry Closing Time
12/09/2024	11.15 AM	12.00 PM
उम्मीदवार का नाम / Candidate's Name	उम्मीदवार का नया या बदला हुआ नाम / Candidate's New or Changed Name	लिंग/ Gender
SUNIL		Male
जन्म तिथि/ Date of Birth		प्रेणी/ Category
15/05/1999		OBC
उम्मीदवार का पता / Candidate's Address	BERA KANER BALOONDA PALI RAJASTHAN - 306308	
परीक्षा की तिथि और समय / Date & Time of Examination	परीक्षा केन्द्र / Examination Venue	
12/09/2024 12.30 PM To 01.30 PM	iON Digital Zone iDZ Ramtekdi 2 GATE 2,Sahayog Digital Hub, S.No. 107/01,Plot No.7, Ramtekdi Industrial Estate No.2,Near HP Petrol Pump, Hadapsar, Pune, Maharashtra, India, 411013 Pune Pune Maharashtra - 411013	

- उम्मीदवार को एक मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना चाहिए जिसमें जन्म तिथि (तिथि, माह और वर्ष सहित) एक ही जन्म तिथि हो, जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र पर मुद्रित किया गया है।
Candidate must carry an original photo identity card having the same Date of Birth (including Date, Month & Year) as printed on the Admission Certificate.
 - यदि फोटो पहचान पत्र में वहाँ जन्मतिथि (तिथि, माह और वर्ष सहित) नहीं है जैसा कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र (मूल रूप में) अवश्य ले जाना होगा।
If photo identity card does not have the same Date of Birth (including Date, Month & Year) as mentioned in the admit card then the candidate must carry an additional certificate (in original) as proof of his/her Date of Birth.
 - In case of mismatch in the Date of Birth mentioned in the Admission Certificate and photo ID/the certificate brought in support of Date of Birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination.
प्रवेश प्रमाण पत्र और फोटो आईडी / जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि में बेमेल होने की स्थिति में, उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम तक सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। खो जाने की स्थिति में दोबारा रोल नंबर नहीं दिया जायेगा।
Admit card must be kept safely till final result. Roll Numbers cannot be given again if lost.

चरण- I / Tier-I		विषय / Subject	प्रश्नों की संख्या / No. of Questions	अधिकतम अंक / Max. Marks
(वस्तुनिष्ठ प्रकार) (Objective Type)	(A)	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति / General Intelligence and Reasoning	25	50
	(B)	सामान्य जानकारी / General Awareness	25	50
	(C)	परिमाणात्मक अभिभूति / Quantitative Aptitude	25	50
	(D)	अंग्रेजी परिज्ञान / English Comprehension	25	50

कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। हालाँकि, इन्हें परीक्षा स्थल पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

Please read the instructions carefully. However, the same need not to be carried into the examination venue.

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश / GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेशपत्र में दिए गए रिपोर्टिंग/प्रवेश-समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचें।
The candidates are advised to reach centre as per the time slot indicated against Reporting/ Entry time in the admit card.
2. अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश-समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश-समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा।
Candidates should note that no candidate will be allowed entry after the entry closing time in any circumstance or due to any reason. Gates will be closed strictly at entry closing time.
3. अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं :
Candidates should invariably bring the following at the time of reporting for the examination:
 - (a) प्रवेश-पत्र
Admission Certificate
 - (b) स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में कम से कम एक फोटोयुक्त वैध पहचान प्रमाण (अपेक्षित फोटो पहचान-प्रमाण जैसे कि 1. पासपोर्ट, 2. आधार कार्ड / ई.आधार का प्रिंट आउट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान-पत्र, 5. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र, 6. मतदाता पहचान-पत्र , 7. पैन कार्ड, 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सेनिक निर्मुक्ति पुस्तक, 9. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण)
At least one valid **photo bearing identity proof in ORIGINAL with clear photograph** (Eligible photo identity proofs such as 1. Passport, 2. Aadhaar Card/Print out of e-Aadhaar, 3. Driving License, 4. Service ID Card issued to employees by Central Govt./State Govt./ PSUs, 5. ID Card issued by University/College/School 6. Voter's ID Card, 7. PAN Card, 8. Ex-Servicemen Discharge Book issued by Ministry of Defence, 9. Any other Photo Identity Proof issued by Central Govt./ State Govt.).
 - (c) यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष के रूप में एक अंतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा जिसमें जन्म तिथि वर्दी हो जा प्रवेश-पत्र में अंकित है (जैसे- सीबीईसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रवेशपत्र/पास प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र; जम्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र)। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
If the Photo Identity Card does not contain the complete Date of Birth, then the candidate must carry an additional original document having the Date of Birth as printed on the Admission Certificate (e.g. Admit Card/ Pass Certificate/ Marks Sheet of 10th Class issued only by CBSE/ ICSE/ State Boards; Birth Certificate, Category Certificate etc. issued only by Central Govt. / State Govt. / PSUs). **In case of a mismatch in the Date of Birth mentioned in the Admission Certificate and Photo ID Proof/ the Certificate brought in support of Date of Birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination.**
 - (d) पारदर्शी पानी की बोतल।
Transparent water bottle
4. परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है, तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
No candidate will be allowed to leave the examination lab before the completion of the examination time for any reason without permission from the exam Functionaries. Once a candidate leaves the lab without the permission of the exam functionaries, he/she shall not be allowed to re-enter the examination lab and his/her candidature shall be cancelled.
5. अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।
Candidates shall be permitted to appear in the exam only at the venue as specified in the Admission Certificate.
6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सकें।
Candidates are advised to visit the exam venue at least one day in advance so that they can reach the examination venue on the date of exam in time.
7. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हों। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
Candidates must ensure that they do not appear in the examination more than once. Otherwise candidature of such candidates would be cancelled and appropriate action will be taken against them.
8. अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर ले कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
Candidature of candidates is purely provisional. It is advised that candidates should satisfy themselves that they fulfil all the eligibility conditions. If at any stage, it is found that a candidate does not fulfil any of the eligibility conditions, his/her candidature shall be cancelled.
9. परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं, जैसे- घड़ी, किताबें, पेन, पेपर चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन / बटनहोल / स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि) लाने की सख्त मनाही है।। यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वस्तु पाइ जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी / आपाराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा/होती है।
Prohibited items such as watches, books, pens, paper chits, magazines, electronic gadgets (mobile phones, Bluetooth devices, head phones, pen/ buttonhole/ spy cameras, scanner, calculator, storage devices etc) are strictly not allowed in the examination lab. If any such item is found in the possession of a candidate in the examination lab, his/her candidature is liable to be cancelled and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. He/she would also be liable to be debarred from appearing in future examinations of the Commission as per extant rules.
10. अभ्यर्थियों को नोज़-पिन, कंगन, झुमके, चार्म (charms), कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धर्म/रीति-रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो उनको तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए।
Candidates should avoid wearing items like nose pins, bracelets, earrings, charms, kadas etc. In case, religion/ customs require candidates to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early.
11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
Candidates are advised not to bring bags and prohibited items into the examination venue. In case they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such items. The Commission will not be liable to make any arrangement for safe custody of any such item.
12. रफ़ कार्प के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे।
Pen and paper for rough work would be provided in the examination lab.
13. सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन हैं।
All Exam Labs are under Video Surveillance.

-----Please See Next Page -----

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश /GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

14. अभ्यर्थियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी (टाइमर) उपलब्ध रहेगी।
Electronic watch (timer) will be available on the computer screen allotted to candidates.

15. अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा शुरू होने पर और इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें।
Candidate should ensure that they do not indulge in any unfair means and shall also not talk to each other after commencement of the exam and during its entire duration.

16. अभ्यर्थी को हस्त संचालित मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के जरिए संपर्क रहित तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
Candidate shall have to undergo the process of contactless Frisking through Handheld Metal Detector (HHMD).

17. अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारियों (केंद्र पर्याक्षक/परीक्षक आदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
Candidate must strictly abide by the instructions given by the Exam Functionaries (Centre Supervisor / Invigilator, etc).

18. अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेशपत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगठे का निशान (एलटीआई), प्रवाहपूर्ण हस्तलेख (रनिंग हैंडराइटिंग) में प्रमाणन व्यक्त करना सुनिश्चित करना चाहिए।
Candidate should ensure that they provide clear Left Thumb Impression (LTI), Certification Statement in their running handwriting and signature on Commission's Copy of Admission Certificate taking necessary precautions against Covid-19.

19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थित रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भाँति परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदाती होगा और उसके स्थिताकानूनी/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ध्यान दिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के उक्साने के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी।
If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his/her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the Commission and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. It may be noted that no re-examination would be conducted if it is found that the examination was disrupted on account of instigation by the candidates.

20. परीक्षा के वास्तविक संचालन के एक धंटे के दौरान, उम्मीदवारों को टॉयलेट ब्रेक लेने की अनुमति नहीं होगी। पर्याक्षक की अनुमति से, यदि आवश्यक हो तो वे परीक्षा शुरू होने से पहले शौचालय जाना सुनिश्चित कर सकते हैं।
During the one-hour of actual conduct of examination, candidates will not be allowed to take toilet breaks. With the permission of Invigilator, they may ensure to visit the toilet, if required, before the start of the examination.

21. यदि किसी तकनीकी खारीकी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा स्थिरारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें थैरेंप्यूर्क प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाधकरी होगा।
If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The Commission would take an appropriate action and decision in the matter which would be final and would be binding on candidates in case the exam could not be completed.

22. अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान, जैसे- गंभीर/मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति / सर्वर का संपर्क न रहना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके लिए हकदार हैं।
Candidates are assured that in case of disruption of examination for any reason such as major/minor technical snag or slow speed of server/breakdown of server etc., they will not, under any circumstances, lose the examination time to which they are entitled.

23. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / आयोग को इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
Candidates are advised to report to the concerned Regional Office/ Commission, in case they notice any irregularity during conduct of examination. The identity of such candidates will be kept confidential.

24. पात्र शा.दि. अभ्यर्थी प्रति धंटे 20 मिनट के पूरक समय और प्रलिपिक की सहायता के हकदार हैं।
Eligible PwD candidates are entitled for compensatory time of 20 minutes per hours and assistance of scribe.

25. दृष्टिहीनता और प्रमस्तिक्षीय पक्षाधात प्रभावित लोगों का छोड़कर अन्य शा.दि. अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में प्रलिपिक की सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परीक्षा के नोटिस के अनुबंध-। (एनेक्सर-।) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
PwD candidates, other than those affected by blindness and cerebral palsy, who have opted for the facility of scribe and/or Compensatory time in their application form are required to produce certificate as per Annexure-1 of the Notice of Examination for availing the facility of scribe.

26. यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे अभ्यर्थियों को अनुबंध-॥ (एनेक्सर-॥) पर दिए गए प्रोफार्म के अनुसार परीक्षा देने के समय अपने प्रलिपिक के ब्यारे प्रस्तुत करना अपैक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 3 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध-॥ (एनेक्सर-॥) पर दिए गए प्रोफार्म के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
Candidates opting for own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. Such candidates shall be required to submit details of the own scribe in proforma at Annexure-II of the Notice of Examination. In addition, the scribe has to produce a valid ID proof (as per list given at Para-3) in original. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe is required to be submitted along with proforma at Annexure-II.

27. शा.दि. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित प्रलिपिक को इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
Scribe arranged by the PwD candidate should not be a candidate of this examination otherwise candidatures of both the candidates will be cancelled.

28. एकाक्ष (एक अंख बाला) अभ्यर्थी और आशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लैस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लैस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लैस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लैस लाना होगा।
One eyed candidates and partially blind candidates, who are able to read the normal Question Paper set with or without magnifying glass and who wish to write/indicate the answer with the help of magnifying glass, will be allowed to use the same in the Examination Hall and will not be entitled to a Scribe. Such candidates will have to bring their own Magnifying Glass to the Examination Hall.

29. यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
If any candidate is found in inebriated state that candidate will not be allowed entry to the venue.

30. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।
In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned Regional Office of the Commission personally or through the Helpline Numbers as indicated in the Admission Certificate.

-----Please See Next Page -----

